FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	**परियोजना ब्यौरे :–**	
	1. उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है –	रिलायंस जियो द्वारा जगदलपुर से भानपुरी तक 0.699 हेक्टयर में ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु
	2. अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नही हो)–	आरक्षित वन –0.153 संरक्षित वन – 0.296 ऑरेज एरिया – निरंक राजस्व वनभूमि – 0.250 कुल 0.699 हेक्टयर।
	3. परियोजना की कुल लागत –	80.00 लाख में
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई उनको दर्शाते हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाऐ –	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नही होने के कारण वनभूमि का आवश्यकता है।
	5. वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि
	6. कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	सम्पूर्ण भारत
	7. सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	**परियोजना स्कीम का स्थान :–**	जगदलपुर से भानपुरी
	1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
	2. जिला –	बस्तर
	3. वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्र. 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित कक्ष क्र 1718,1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हें. राजस्व वनभूमि कक्ष कमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हें.
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –**	आरक्षित वन –0.153 संरक्षित वन – 0.296 ऑरेज एरिया – निरंक राजस्व वनभूमि – 0.250 कुल 0.699 हेक्टयर।
4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा –**	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामतः आरक्षित/	आरक्षित वन –0.153

	सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) –	संरक्षित वन – 0.296 ऑरेज एरिया – निरंक राजस्व वनभूमि – 0.250 कुल 0.699 हेक्टयर।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	संलग्न है।
	3. वनस्पति की सघनता –	
	4. वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	वृक्ष विदोहन नही होना है।
	5. भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नही –	नही है।
	6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयो को संलग्न करें)	नही है।
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.699 हेक्टयर भूमि का उपयोग की जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	आवश्यक नही है।
	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है –	आवश्यक नही है।
	10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नही है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	आवश्यक नही है।
	1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नही है।
	2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	3. विस्तृत पुनवार्स योजना –	आवश्यक नही है।
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –	
	1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है।
	2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नही है।

	3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढ़ाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	निरंक
	4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय –	आवश्यक नही है।
	5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नही है।
	6. क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र –	नही है।
	7. पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये – 1. परिषण लाईन की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है। नही है।
	2. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई –	नही है।
	3. मार्ग का अधिकार –	नही है।
	4. निर्मित किये जानेह वाले टावरों की संख्या –	नही है।
	7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	नही है।
	8. परिषण टावरों की ऊंचाई –	नही है।
7	**सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –**	नही है।
	1. कुल आवाह क्षेत्र –	नही है।
	2. कुल कमानु क्षेत्र –	नही है।
	3. कुल जलाशय स्तर –	नही है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर –	नही है।
	5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर –	नही है।
	6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृर्षि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) –	नही है।
	7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र–	नही है।
	8. पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र –	नही है।
	9. पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	नही है।

	10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	नही है।
	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र –	नही है।
	12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना –	नही है।
	13. कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में –	नही है।
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –	नही है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये –	नही है।
	1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नही है।
	2. सड़क की कुल लम्बाई –	नही है।
	3. पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई –	नही है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	नही है।
	1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नही है।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	नही है।
	3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार –	नही है।
	4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन –	नही है।
	5. खनन कार्यो की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	नही है।
	6. चरणबद्ध सुधार योजना –	नही है।
	7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	नही है।
	8. पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें –	नही है।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या –	नही है।
	10. निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल –	नही है।
	क. खनन –	नही है।
	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन –	नही है।
	ग. अधिभार को जमा करना –	नही है।
	घ. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन –	नही है।
	ड़. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नही है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां –	नही है।
	छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मार्ग का निर्माण –	नही है।

	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	नही है।
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है –	आवश्यक नही है।
	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	13. बारहमासी नदियों के मार्गो राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वो के खनन की दूरी –	आवश्यक नही है।
	14. पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नही है।
	15. भूमिगत खनन कार्यो में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	आवश्यक नही है।
11	लागत लाभ विश्लेषण –	नही है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नही) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नही)	आवश्यक नही है।
13	क्या अधिनियम का उंल्लघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नही) यदि हां तो –	हॉ।
	1. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे –	आवेदक रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लंबाई 380.00 मी. ,चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.50 मी. रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप लंबाई 230.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.40 मी. रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा

		33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है तथा पी.ओ.आर. क. 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 31608/– एवं पी.ओ.आर. क. 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 40013/– मनी रसीद कमशः क. 14197/40 एवं क. 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल रू. 77621/– आवेदक राशि जमा कर राजीनामा किया गया है।
	2. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	नही है।
	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही –	नही है।
	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुऐ कार्य किया जा रहा है –	नही है।
14	कोई अन्य सूचना –	नही है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे–	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारें में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात	
	1. इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	इस प्रकरण में लागू नही है।
	2. क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नही है।
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	इस प्रकरण में लागू नही है।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	इस प्रकरण में लागू नही है।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	इस प्रकरण में लागू नही है।
	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें	बस्तर वनमंडल के अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक लम्बाई लगभग 39.48 कि.मी. तक संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हें. एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हें. कुल रकबा 0.699 हे. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में आवेदक रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर द्वारा प्रस्तावित आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदक रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लंबाई 380.00 मी. ,चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.50 मी. रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने

		हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप लंबाई 230.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.40 मी. रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है तथा पी.ओ.आर. क. 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 31608/– एवं पी.ओ.आर. क. 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 40013/– मनी रसीद कमशः क. 14197/40 एवं क. 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल रू. 77621/– आवेदक राशि जमा कर राजीनामा किया गया है। आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित है, जो अत्यंत आवश्यक है।

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम
लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़